an>

Title: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, इस जीरो ऑवर में मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी न किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हैं। यह पूरे देश के लोगों की मांग है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। सदन में कई बार विभिन्न भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ, तब 14 भाषायें आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधन के माध्यम से आज 22 भाषायें आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भाषायें क्षेत्रीय हो सकती हैं, लेकिन आज इस तेज रफ्तार युग में कौन आदमी कहां पहुंच जाता है, इसका कोई पता नहीं, सब कुछ वैश्विक हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहां नौकरी कर रहा है, कहां व्यावसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहां बोले जाने वाली भाषा, संस्कृति, पूरे देश की धरोहर रूपी सभ्यता है। भारत में बोलने जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है, स्वयं की अपनी-अपनी रचनायें एवं कविताएं, लोक गीत, रागनियां, भजन, धारावाहिक, फिल्में आदि हैं।

महोदय, समय-समय पर सदन में उठती मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। 15वीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के अंतर्गत जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत मोहापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनायी थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर अभी तक मंत्रालय में कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है। इस हेतु आयोग ने 17 जुलाई, 2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है। रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण केंद्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लंबित हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा व गायन भी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृ भाषा में सीखता है।" यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता है। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान सभा द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसंबर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तब आश्वासनों की सरकार थी, जो 2006 से लेकर अप्रैल 2014 तक आश्वासन ही देती रही। परन्तु इस बार मैं राजस्थानी भाषा में कहना चाहूंगा कि "ई बार राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलणी चायजे"।

महोदय, अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों व राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिये जा रहे आश्वासनों पर गम्भीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा सहित सभी प्रस्तावित भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

माननीय सभापति :

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री सी.आर.चौधरी व

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको श्री पी.पी. चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. नैपाल सिंह जी।

अब तो आप यहां पार्लियामेंट में हैं, विधान परिषद में थोड़े ही हैं। यह कानून व्यवस्था का मामला जो आप उठाना चाहते हैं, इसे आप रोज वहां उठाते रहे। आप अपनी बात पेश कीजिए।